Form no 111

फर्द अहकाम
(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

उनवान – अशोक कुमार बनाम बनवारी आदि

धारा – 88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या – 55 / 2020

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
26.2.2020	अभिभाषक वादी के वकील श्री सुरेन्द्र सिहाग द्वारा अर्न्तगत वाद–पत्र पेश किया गया। सरिश्ता रिपोर्ट हो चुकी है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली 04.03.2020 दिनांक को पेश हो।	अशोक कुमार I. by me
04.03.2020	वादी के अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से सुश्री सन्तोष पुनियां अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा मय साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो खुले न्यायालय में पढ़ की सुनाये जानें पर उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किये जानें पर राजीनामा पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करवाये गये उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं होनें से बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जानें के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़	बनवारी लाल लीलाधर लक्ष्मणराम राजोदेवी I by me Santosh

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.07 23:54:16 IST
Reason: SelfAttested